प्रेस विज्ञप्ति

एकलव्य संयुक्त आवासीय उ0मा0वि0 परिसर पोड़ीडीह विकास खण्ड खड़गंवा जिला कोरिया में अतिथि शिक्षक रखने के संबंध में

आयुक्त/पदेन सचिव छ0ग0 राज्य आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर, छ0ग0 के पत्र क्रमांक/ईएमआरएस/नं.क्र. 52/2017–18/1901 दिनांक 26.05.2017 में दिये गये निर्देशानुसार एकलव्य संयुक्त आवासीय उ0मा0वि0 परिसर पोड़ीडीह विकास खण्ड खड़गंवा में निवासरत विद्यार्थियों के अध्यापन की आवश्यकता को देखते हुए पी0जी0टी0 स्तर के अतिथि शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जाना है। अतिथि शिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं निम्नानुसार है:–

क्रं0	स्तर	विषय	कुल पदो की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5
1	पी0जी0टी0	गणित जीव विज्ञान भौतिकी अंग्रेजी हिन्दी	01 01 01 01 01	(1)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (2) मान्यता प्राप्त वि0वि0 से बी0एड या एम0 एड उपाधि (3) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन (4) न्यूनतम आयु 23 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष (5) विशेष पिछड़ी जनजाति "बैगा" को प्राथमिकता दी जावेगी। (6) छ0ग0 राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

शर्तेः–

1. अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के माध्यम से जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।
2. अतिथि शिक्षकों को प्रति कालखण्ड रू0 200/– की दर से मानेदय देय होगा। एक दिवस में अधिकतम 04 कालखण्ड अध्यापन कार्य कराना होगा।
3. अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी व आदेश जारी होने के तिथि से 89 दिनों के लिए वैध होगी।
4. तिथि समाप्ति उपरांत आवश्यकतानुसार शैक्षणिक सत्र तक पुनः अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
5. अवधि समाप्त होने पर यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।

आवेदक दिनांक 24.07.2017 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वयं या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र आवश्यक अभिलेख सहित (सत्यापित) भेज सकते है। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायगा।

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
कलेक्टर
जिला–कोरिया, छ0ग0

पृ0 क्रमांक/ए0आ0वि0/छा0–आ0/2017–18/ 863 /बैकुन्ठपुर, दिनांक 21/07/2017

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त/पदेन सचिव आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक संचालक जिला जनसम्पर्क कार्यालय बैकुन्ठपुर, जिला कोरिया। कृपया सभी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) कोरिया को सूचनार्थ। कृपया कोरिया जिले के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
4. प्राचार्य, एकलव्य संयुक्त आवासीय उ0मा0वि0 परिसर पोड़ीडीह, खड़गंवा जिला कोरिया को सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला–कोरिया, छ0ग0